5870TD/17-40TD/15
27.07.2017

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में उ0प्र0 समर्पित नगरीय परिवहन निधि (डीयूटीएफ) के प्रबंधन समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 30–06–17 पूर्वान्ह 11.00–11.30 बजे का कार्यवृत्त।

उपस्थिति–

1. श्री कुमार कमलेश, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. श्रीमती आराधना शुक्ला, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. श्री मुकेश मित्तल, सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री रमाकान्त पाण्डेय, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0।
5. श्री अजय यादव, विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. श्री विशाल भारद्वाज, निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0।
7. श्री सुनील प्रशाद, संयुक्त निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0।

बैठक में निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा समर्पित नगरीय परिवहन निधि (डेडिकेटेड अर्बन ट्रान्सपोर्ट फण्ड) में उपलब्ध धनराशि व उसके उपयोग के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। डी0यू0टी0एफ0 नियमावली–2013 के अन्तर्गत निधि प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 19.01.2016 में लिए गये निर्णय के सापेक्ष की गयी कार्यवाही का अवलोकन किया गया।

बैठक दिनांक 19.01.2016 में निधि प्रबन्ध समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के सापेक्ष प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर समिति द्वारा निम्नांकित संस्तुति की गई है:–

एजेण्डा बिन्दु	समिति की संस्तुति दिनांक 19.01.2016 के कम में की गयी कार्यवाही का विवरण	समिति की संस्तुति
1	**<u>समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचारित विभिन्न राज्य/केन्द्रीय योजनाओं के अधीन संस्तुत/अनुमोदित अवसंरचना सहित नगरीय परिवहन परियोजनाओं के लिए क्षमता अन्तर का वित्त पोषण</u>** 1–समिति की संस्तुति के कम में समस्त प्रबन्ध निदेशक, एसपीवी को कड़े निर्देश पत्र संख्याः 202 यूटीडी/16–62यूटीडी/16 दिनांक 30.05.2016 द्वारा निर्गत किये गये हैं कि जिस मद विशेष में धनराशि आवंटित की जाती है उसमें ही उसे व्यय किया जाय, इससे विचलन करने पर प्रबन्ध निदेशक एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त) उत्तरदायी होगें एवं उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। 2–फण्ड डायवर्जन के प्रकरण में प्रबन्ध निदेशक, एलसीटीएसएल एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त) के स्थान पर किसी अन्य अधिकारियों को स्थानान्तरित करने हेतु पत्र संख्याः 236यूटीडी/16–62यूटीडी/16 दिनांक 13.06.2016 के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम से शासन द्वारा अनुरोध किया गया तथा अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 29.06.2016, 22.07.2016, 18.10.2016 भेजने के	समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में एक माह की अवधि में कार्यवाही कर ली जाए।

R.K/R.C.
Sued
27.7.17

	बावजूद प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा फण्ड डायवर्जन के प्रथम दृष्टया दोषी अधिकारियों का स्थानान्तरण नही किया गया। स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त) को अन्यत्र तैनात किया गया परन्तु प्रबन्ध निदेशक के पद पर तैनात अधिकारी को आज तक नही हटाया गया। 3–उपर्युक्त वर्णित प्रकरण में प्रबन्ध निदेशक, एलसीटीएसएल एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त), एलसीटीएसएल से कमशः पत्र संख्याः 201 यूटीडी/16 एवं पत्र संख्याः200 यूटीडी /16 दिनांक 30.05.2016 द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, समयान्तर्गत उत्तर प्राप्त न होने पर प्रबन्ध निदेशक को दिनांक 24.06.2016 तथा स0क्षे0प्र0(वित्त) को दिनांक 28.06.2016 को अनुस्मरण पत्र प्रेषित किया गया, जिसके कम में प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर उक्त अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु पत्र संख्याः 390 यूटीडी/16– 62यूटीडी/16 दिनांक 08.08. 2016 सचिव, नगर विकास विभाग को पत्र प्रेषित किया गया एवं तदोपरान्त अनुस्मरण पत्र दि0 22.09.16, 14.11.16 एवं 16.01.2017 के माध्यम से कार्यवाही हेतु पुनः अनुरोध किया गया। शासकीय पत्र संख्याः 321/नौ–5–2017– 19सा /2017 दिनांक 22.02.2017 के माध्यम से संबंधित अधिकारियों का आरोप पत्र गठित कर मांगा गया जो कमशः पत्र संख्याः 335यूटीडी/17 –62यूटीडी/16 दिनांक 18.04. 2017 एवं पत्र संख्याः 404यूटीडी/17–62यूटीडी/16 दिनांक 09.05.2017 के माध्यम से शासन प्रेषित किया जा चुका है।	
2	<u>नगरीय परिवहन से सम्बंधित अध्ययनों का आयोजन।</u> निधि प्रबन्ध समिति द्वारा बैठक दिनांक 19.01.2016 में इस मद में कोई भी धनराशि आवंटित नही की गई थी। अस्तु तद् प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही थी।	समिति द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
3	<u>विभिन्न क्रिया–कलापों और अध्ययन के लिए परामर्शदाताओं को आबद्ध करने में अन्तर्ग्रस्त व्यय–एस0पी0वी0 के प्रतिफलों की सघन समीक्षा की व्यवस्था।</u> परामर्शदाताओं के चयन हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त प्रमुख समाचार पत्रों में दिनांक 06, 07 एवं 08 मई, 2016 के संस्करणों में प्रकाशित कराया गया था। तद् प्रकरण में कुल 12 आवेदन प्राप्त हुए थे। शासनादेश संख्याः766/नौ–5–2017–82सा/2017 दिनांक 08 मार्च, 2017 द्वारा तत्संबंध में प्रकिया का निर्धारण करते हुए निर्देश पारित किये गये। पत्र संख्याः204यूटीडी/17–30यूटीडी/16 दिनांक 28.03.17 के माध्यम से निम्नांकित बिन्दुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। तत्संबंध में अग्रेतर कार्यवाही गतिशील हैः– 1. उक्त वर्णित प्रकरण में पूर्व में की गई प्रकिया को निरस्त	समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त इस बिन्दु पर यह संस्तुति की गई कि नगरीय परिवहन सेल में योग्य एवं प्रशिक्षित परामर्शी रखा जाना उपयुक्त होगा। तत्कम में Terms of reference (टर्म्स आफ रिफरेन्स) तैयार करके आरएफक्यू एवं आरएफपी के माध्यम से 03 माह में परामर्शियों का चयन कर लिया जाय ताकि नगरीय परिवहन विषय पर सकारात्मक अध्ययन, समीक्षा, इनोवेशन एवं भविष्य नीति विकसित की जा सके।

	करने हेतु आदेश प्राप्त करना चाहें। 2. इस संबंध में बनाये गये विज्ञापन को प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों के संस्करणों में एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित कराने की अनुमति प्राप्त करना चाहें। 3. विज्ञापन के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण बनाकर निदेशक महोदय से उनका मूल्यांकन करने हेतु संयुक्त निदेशक/वित्त नियन्त्रक को अधिकृत कराना चाहें। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त निदेशक महोदय की अध्यक्षता में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर अहर्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कराने हेतु तिथि तत्समय निर्धारित कराने की कार्यवाही की अनुमति प्राप्त करने के साथ–साथ साक्षात्कार समिति में संयुक्त निदेशक/वित्त नियन्त्रक को नामित कराना चाहें।	
4ए	<u>नगरीय संचालन हेतु परिवहन निगम के बस अड्डे एवं कार्यशालाओं का उपयोग।</u> कोई कार्यवाही प्रस्तावित नही है।	समिति द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गई।
4बी	<u>बस बेड़े की वृद्धि करना–24 सीटर बस सेवा</u> वर्णित प्रकरण में निविदा अभिलेख तैयार कर दि0 29.06.16 को शासन को प्रस्तुत किये गये, तदनुकम में शासन द्वारा वित्तीय परीक्षण कर दिनांक 26.08.2016 को पत्र के माध्यम से अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 09.09.2016 को प्रथम निविदा प्रकाशित हुई, जिसके संबंध में मात्र दो निविदाएं दिनांक 14.10.2016 को प्राप्त हुई तथा दिनांक 20.10.2016 को मात्र दो निविदाएं प्राप्त होने के कारण प्रकिया निरस्त कर निविदादाताओं को निविदाएं वापस की गई। पुनः द्वितीय निविदा–02/2016 दिनांक 25.10.2016 को प्रकाशित हुई जिसके कम में दि0 16.11.16 को 03 निविदाएं प्राप्त हुई। शासन द्वारा शासनादेश संख्याः 4056/नौ–5–2016– 410सा/2016 दिनांक 07.12.2016 के माध्यम से निविदा मूल्यांकन समिति की गठन किया गया एवं शासनादेश संख्याः 4056(1)/नौ–5–2016–410सा/ 2016 दिनांक 14.12.2016 के द्वारा मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 16.12.2016 को निर्धारित की गई। तदोपरान्त मूल्यांकन समिति की संस्तुति शासन को पत्र संख्याः 717यूटीडी/16 दिनांक 21.12.2016 द्वारा प्रेषित की गई, जिसके कम में शासन द्वारा पत्र संख्याः 4188/नौ–5–2017–410 सा/ 2016 दिनांक 27.02.2017 के माध्यम से स्पष्ट संस्तुति पुनः प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया। तदनुकम में समिति की बैठक दिनांक 28.03.17 को पुनः आहूत हुई एवं समिति की संस्तुति पत्र संख्याः287यूटीडी/17 दिनांक 31.03.2017 द्वारा शासन को प्रेषित की जा चुकी है।	समिति द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गई।
	<u>प्रशिक्षण कार्यक्रम/संगोष्ठी/सम्मेलन।</u>	समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त

4सी	इस संबंध में भारतीय प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ के माध्यम से 03 प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित किये जा चुके हैं। सेमिनार का प्रस्ताव आईआईटी, दिल्ली से प्राप्त हुआ है इस पर कार्यवाही की जायेगी। विदेशी भ्रमण कार्यकम भी आईआईटी दिल्ली के सहयाग से कराये जायेगें।	यह संस्तुति की गई कि प्राख्यात संस्थानों के माध्यम से ही प्रशिक्षण कार्यकम कराये जाये।
4डी	<u>नगर निगम, लखनऊ के ट्रैफिक पार्क के उच्चीकरण का प्रस्ताव।</u> नगर निगम, लखनऊ को प्रस्तावित धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है एवं ट्रैफिक पार्क के उच्चीकरण के संबंध में नगर निगम द्वारा पत्र संख्याः 547 दिनांक 01.03.2017 के माध्यम से निम्नवत् अवगत कराया है:– ➢ लखनऊ नगर निगम के ट्रैफिक पार्क के उच्चीकरण हेतु छोटे वाहन के 01 वाहन सिम्युलेटर प्रणाली के निर्माण, स्थापना, कमीशनिंग एवं सुविधा के 05 वर्ष की अवधि के संचालन व अनुरक्षण (पार्ट–1) हेतु निविदाएं आमंत्रित कर एल0ओ0आई0 जारी की जा चुकी हैं। ➢ भारी वाहन सिम्युलेटर व इन सिम्युलेटरों को स्थापित किये जाने हेतु कक्ष निर्माण संबंधी विशिष्टियों के आधार पर परामर्शी फर्म मेसर्स ऐरीनेम कन्सल्टेंसी सर्विसेज प्रा0लि0 द्वारा आगणन एवं निविदा प्रपत्र तैयार कर प्रस्तुत कर दिये गये हैं। ➢ ट्रैफिक पार्क में यातायात नियन्त्रण प्रणाली आटोमेटेड ट्रैक प्रणाली के निर्माण, स्थापना कमीशनिंग एवं सुविधा के 5 वर्ष की अवधि के संचालन व अनुरक्षण (पार्ट–2) हेतु द्वि–लिफाफा पद्धति पर दिनांक 28.10.2016 को निविदाएं आमंत्रित किये जाने के कम में वित्तीय निविदाएं दिनांक 26.12.2016 को खोली गयी, जिसकी स्वीकृति दिनांक 03.01.2017 का प्रदान किये जाने के कम में फर्म को सूचना पत्र संख्याः 479/पीएम/ जे–16–17 दिनांक 03.01.2017 जारी किया गया है। ➢ अनुबंध हेतु निर्दिष्ट बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने के पश्चात् आचार संहिता निष्प्रभावी होने के उपरान्त अनुबन्ध व संबंधित कार्य सम्पादित कराये जायेगें एवं भारी वाहन सिम्युलेटर व कक्ष निर्माण प्रकिया प्रारम्भ की जायेगी। ➢ अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष अब तक कार्यो संबंधी व्यय नही किये गये हैं।	समिति द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गई।
4ई	<u>लखनऊ नगर के नगरीय बस स्टाप एवं बस स्टेशनों को ग्रीन लखनऊ के आधार पर उच्चीकृत करने का प्रस्ताव।</u> नगर निगम, लखनऊ को प्रस्तावित धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। नगर निगम द्वारा पत्र संख्याः 546 दिनांक 01.03.2017 के माध्यम से निम्नवत् अवगत कराया है:– ➢ लखनऊ नगर निगम के नगरीय बस स्टाप एवं बस	समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह संस्तुति की गई कि दिल्ली में एनडीएमसी द्वारा जो बस स्टाप विकसित कराये गये हैं उनका क्या माडल एवं डिजाइन है इसको भी देख लिया जाय एवं

<table>
<tr><td></td><td>स्टेशनों को ग्रीन लखनऊ के आधार पर उच्चीकृत किये जाने हेतु प्रोटोटाइप बसशेल्टर ई–टायलेट व किओस्क संकुल के निर्माण कार्य हेतु दिनांक 17.08.2016 को अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे, जिसमें मेसर्स मैजिक जीनी सर्विसेज लिमिटेड के प्रस्ताव की स्वीकृति के क्रम में फर्म को सूचना पत्र 389/पीएम/जे/16–17, दिनांक 05.10.2016 (एल0ओ0आई0) जारी किया गया है।
➢ प्रोटोटाइप मॉडल के निर्माण व स्थापना के उपरान्त निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय महोदय की समिति के परीक्षण के दिशा–निर्देशों के अनुरूप मॉडल को अंतिम स्वरूप प्रदान करने के पश्चात् निविदा प्रकिया सम्पादित करते हुए अवमुक्त धनराशि के अन्तर्गत एजेण्डा प्रस्ताव के अनुसार कार्य कराया जायेगा।</td><td>इसके दृष्टिगत डिजाइन अंतिमकृत की जाय।</td></tr>
<tr><td>4एफ</td><td><u>नगरीय परिवहन निदेशालय के अन्य व्ययों हेतु व्यवस्था।</u>
इस मद में उपलब्ध धनराशि से निदेशालय के अन्य व्ययों की व्यवस्था हो रही है एवं इससे अब तक रू0 9,07,017.00 का व्यय किया जा चुका है एवं रू0 1,03,92,983.00 धनराशि अवशेष है। इन्दिरा भवन में निदेशालय की आवश्यकताओं के आधार पर कार्यालय हेतु कक्ष एवं हाल आवंटित करने के संबंध में राज्य सम्पत्ति विभाग से आग्रह किया जा चुका है। आवंटन के उपरान्त उनकी फर्नीसिंग आदि में व्यय किया जायेगा।</td><td>समिति द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गई।</td></tr>
<tr><td>4जी</td><td><u>प्रवर्तन/ट्रैफिक नियन्त्रण दल।</u>
सभी एसपीवी को धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है एवं इस संबंध में कार्यवाही गतिशील है। वर्तमान में विभिन्न एसपीवी को उपलब्ध कराई गयी धनराशि के सापेक्ष उनके द्वारा उपभोग की गई धनराशि का विवरण निम्नवत् है:–
<table>
<tr><th>एसपीवी का नाम</th><th>उपलब्ध करायी गयी धनराशि (रू0 में)</th><th>एसपीवी द्वारा व्यय की गई धनराशि (रू0 में)</th><th>एसपीवी के पास उपलब्ध धनराशि (रू0 में)</th></tr>
<tr><td>लखनऊ</td><td>8777778.00</td><td>271756.00</td><td>8506021.00</td></tr>
<tr><td>कानपुर</td><td>8777778.00</td><td>273833.00</td><td>8503945.00</td></tr>
<tr><td>आगरा–मथुरा</td><td>8777777.00</td><td>1044353.00</td><td>7733425.00</td></tr>
<tr><td>इलाहाबाद</td><td>4388889.00</td><td>810040.00</td><td>3578849.00</td></tr>
<tr><td>मेरठ</td><td>4388889.00</td><td>395308.00</td><td>3993581.00</td></tr>
<tr><td>वाराणसी</td><td>4388889.00</td><td>768000.00</td><td>3620889.00</td></tr>
<tr><td></td><td>39500000.00</td><td>3563290.00</td><td>35936710.00</td></tr>
</table></td><td>समिति द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गई।</td></tr>
<tr><td>4एच</td><td><u>हेल्पलाइन स्थापित करना–नगर बस हेल्पलाइन सेवा।</u>
सभी एसपीवी को धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है एवं इस संबंध में कार्यवाही गतिशील है। वर्तमान में विभिन्न एसपीवी को उपलब्ध कराई गयी धनराशि के सापेक्ष उनके द्वारा उपभोग की गई धनराशि का विवरण निम्नवत् है:–
<table>
<tr><th>एसपीवी का</th><th>उपलब्ध करायी</th><th>एसपीवी द्वारा</th><th>एसपीवी के</th></tr>
</table></td><td>समिति द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गई।</td></tr>
</table>

	नाम	गयी धनराशि (रू0 में)	व्यय की गई धनराशि (रू0 में)	पास उपलब्ध धनराशि (रू0 में)	
	लखनऊ	350000.00	0.00	350000.00	
	कानपुर	350000.00	85783.00	264217.00	
	आगरा–मथुरा	350000.00	83998.00	266002.00	
	इलाहाबाद	350000.00	0.00	350000.00	
	मेरठ	350000.00	332932.00	17068.00	
	वाराणसी	350000.00	0.00	350000.00	
		2100000.00	502713.00	1597287.00	
4आई	<u>आई0टी0एम0एस0 प्रणाली लागू करना।</u> कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन से पत्र संख्याः440यूटीडी/16–38यूटीडी/16 दिनांक 30.08.2016 के द्वारा आईटीएमएस लागू करने के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव एवं कार्ययोजना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। परिवहन निगम से प्रस्ताव प्राप्त न होने की दशा में पत्र दिनांक 16.09.2016, 28.09.2016, 26.10.2016, 10.11.2016, 08.12.2016, 05.01.2017, 16.01.2017, 22.02.17, 07.03.2017 एवं 16.03.2017 के माध्यम से लगातार परिवहन निगम से नगरीय बसों को आईटीएमएस युक्त करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। परिवहन निगम द्वारा पत्र संख्याः 23/नगरीय बस/आईटीएएस/कम्प्यू/2017 दिनांक 20.03.2017 के माध्यम से संक्षिप्त प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। जिसके कम में पत्र संख्याः 248यूटीडी/17–38यूटीडी/16 दिनांक 28.03.2017 के माध्यम से मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन) परिवहन निगम मुख्यालय से प्रकरण में समुचित योजना की डीपीआर (विस्तृत परियोजना आख्या) उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। तदनुकम में पत्र संख्याः 111रो/प्र0प्र0जे0/डीपीआर/नगर बस/17 दि0 05.05.17 के माध्यम से नगरीय बसों हेतु आईटीएमएस प्रणाली लागू किये जाने के संबंध में डीपीआर (विस्तृत परियोजना आख्या) उपलब्ध करा दी गयी है, जिसे पत्र संख्याः 339यूटीडी/17–38यूटीडी/16 दिनांक 05.05.2017 के माध्यम से शासन को प्रेषित करते हुए वित्त विभाग तथा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग से परीक्षण कराये जाने का अनुरोध किया गया है।			समिति द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गई।

समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिए गयेः–

1. समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि परिवहन विभाग एवं नगर विकास विभाग टीम बनाकर इन्दौर एवं बैंगलौर नगरीय परिवहन सेवा के माडल का अध्ययन कराकर रिपोर्ट दिनांक 31.08.2017 तक तैयार करा लें तथा इन मॉडलों को उपयुक्तता के आधार पर उत्तर प्रदेश नगरीय परिवहन इकाईयों पर लागू करने की योजना बनाकर उपलब्ध करायेगें।

1. समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि परिवहन विभाग एवं नगर विकास विभाग टीम बनाकर इन्दौर एवं बैंगलौर नगरीय परिवहन सेवा के माडल का अध्ययन कराकर रिपोर्ट दिनांक 31.08.2017 तक तैयार करा लें तथा इन मॉडलों को उपयुक्तता के आधार पर उत्तर प्रदेश नगरीय परिवहन इकाईयों पर लागू करने की योजना बनाकर उपलब्ध करायेगें।
2. समिति द्वारा प्रमुख सचिव, परिवहन से अपेक्षा की गई कि वह एक टीम गठित करके राजकोट भेज कर वहां के बस स्टेशन के मॉडल का अध्ययन करा लें एवं उत्तर प्रदेश में उसी आधार पर कार्यवाही किस प्रकार से हो सकती है इस संबंध में एक रिपोर्ट 03 माह में प्रस्तुत कराएं।
3. समिति द्वारा प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग से यह अपेक्षा की गई कि 'अमृत योजना' के साथ जोड़कर ऐसे नगरों में जहां Water Taxi (वाटर टैक्सी) चलाये जाने का स्कोप हो इस विषय में अध्ययन करा लें एवं समुचित कार्यवाही करायेगें।

एजेण्डा बिन्दु सं0 1–समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचारित विभिन्न राज्य/केन्द्रीय योजनाओं के अधीन संस्तुत/अनुमोदित अवसंरचना सहित नगरीय परिवहन परियोजनाओं के लिए क्षमता अन्तर का वित्त पोषण

समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त इस मद में वांछित रू0 8000.00 लाख के सापेक्ष पुरानी देयताएं (लगभग 2112.94 लाख) एवं इस वित्तीय वर्ष हेतु उक्त प्रस्तावित धनराशि रू0 8000.00 लाख में अवशेष धनराशि रू0 5887.06 लाख का एक तिहाई अर्थात लगभग रू0 1962.35 लाख कुल रू0 4075.29 लाख आवंटित किये जाने की संस्तुति की गई। पूर्व का अवितरित अवशेष इसी धनराशि के अन्तर्गत सम्मिलित रहेगा।

उक्त धनराशि निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय के निवर्तन पर उपलब्ध कराते हुए उन्हें आवश्यकतानुसार एसपीवी को वितरित करने हेतु अधिकृत करने की भी संस्तुति की गई।

शेष सभी प्रस्ताव पर आगामी बैठक में विचार किये जाने की संस्तुति समिति द्वारा की गई।

उपर्युक्तानुसार हुए विचार–विमर्श तथा संस्तुति के पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(कुमार कमलेश)
प्रमुख सचिव।

उ0प्र0 शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्या–233401/नौ–5–2017–83सा/2009टीसी
लखनऊः दिनांक : 14 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि समस्त सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(रमाकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।